प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.01.2025

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अपने परिवारीजन के शस्त्र लाईसेन्स पर नौकरी कर रहे 03 सिक्योरिटी गार्ड मय शस्त्र के गिरफ्तार ।

दिनांक 10.01.2025 को थाना मसूरी क्षेत्र में मीट फैक्ट्रियों में संचालित सिक्योरिटी प्रदान करने वाले विभिन्न कम्पनियों की जांच की गयी तो पाया कि सिक्योरिटी प्रदान करने वाले कम्पनियों के संचालको द्वारा बिना लाईसेन्स के भिन्न-भिन्न राज्यों से सिक्योरिटी गार्ड को लाकर बिना जांच सत्यापन कराये फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधडी करके सिक्योरिटी कम्पनी में काम दिया जा रहा है । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.01.2025 को मु0अ0स0 07/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन)अधिनियम 2005 की धारा 4 व 20 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियुक्तगण (1) सराफत अली पुत्र मो0 अशरफ मूल निवासी ग्राम बहराम गला थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल निवासीए-15 , टाल श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद (2) जफर इकबाल पुत्र मो0 अशरफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता फ्लैट नं0 7011 देव हाइट्स थाना वेव सिटी गाजियबाद (3) मौ0 सफीर पुत्र मौ0 सरीफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता भूड गडी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद (4) मुमताज हुसैन खान पुत्र अब्दुल रशीद मूल निवासी दानशाबाद कालोनी मनहाल शाना थन्ना मण्डी जनपद राजौरी जम्मू कश्मीर हाल निवासी म0नं0 बी 24 सेकेण्ड फ्लोर श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

इसी क्रम में दिनाक 12.01.2025 को मीट फैक्टी अल नासिर एक्सपोर्सट प्रा0लि0 व इन्टरनेशनल एग्रो फूड मीट फैक्टी ग्राम भूडगढी से 03 अभि0गण (1) दाऊद खान पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर (2) मुख्तार पुत्र मनीर हुसैन निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर (3) आजाद खान पुत्र मुंशी खान निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार किया गया जो अपने परिवारीजन के शस्त्र लाईसेन्स व शस्त्र का प्रयोग कर मीट फैक्टरी में सिक्योटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे । जिनके कब्जे से क्रमश एक रिवाल्वर 0.32 बोर मय 09 अदद कारतूस जिन्दा 0.32 बोर, एक अदद बन्दूक 12 बोर व 09 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय लाईसेन्स व एक अदद बन्दूक 12 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय लाईसेन्स बरामद हुए । जो क्रमश 1.मौ0 शरीफ पुत्र गुल्ली शेर 2.मनीर हुसैन पुत्र अब्दुल बक्श व 3.मो0 रफीक पुत्र मुन्शी खान निवासीगण ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर के नाम पर पंजीकृत है जिनमे 1.मौ0 शरीफ पुत्र गुल्ली शेर के लाईसेन्स का उपयोग उसके पुत्र दाऊद उपरोक्त द्वारा 2.मनीर हुसैन पुत्र अब्दुल बख्श के लाईसेन्स का उपयोग उसके पुत्र मुख्तार उपरोक्त के द्वारा व 3. मो0 रफीक पुत्र मुन्शी खान के लाईनसेन्स का उपयोग उसके भाई आजाद खान उपरोक्त द्वारा किया जा रहा है । जिनके सम्बंध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0- 08/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0- 09/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0- 10/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिये टीमो का गठन किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मूल रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के जनपद पूंछ के निवासी है तथा पैसा कमाने के उद्देश्य से हम लोग जम्मू से आकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिवारीजन के नाम के शस्त्र लाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते है । दाउद खान व आजाद उपरोक्त दोनों व्यक्ति अल नासिर एक्सपोर्ट्स मीट फैक्ट्री में गार्ड के रूप में राजपूत प्रोटेक्शन सर्विस सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा कार्य कर रहे हैं जिसका संचालन मुमताज खान के द्वारा किया जा रहा है । व मुख्तार उपरोक्त इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री में गार्ड के रूप में अक्सा सिक्योरिटी सर्विस सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा कार्य कर रहा हैं जिसका संचालन जफर इक़बाल के द्वारा किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता –

(1) दाऊद खान पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर, उम्र करीब 27 वर्ष

(2) मुख्तार पुत्र मनीर हुसैन निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर, उम्र करीब 40 वर्ष

(3) आजाद खान पुत्र मुंशी खान निवासी ग्राम माडा जनपद पुँछ जम्मू कश्मीर, उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक रिवाल्वर 0.32 बोर मय 09 अदद कारतूस जिन्दा 0.32 बोर बरामद होना

एक अदद बन्दूक 12 बोर व 09 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय लाईसेन्स बरामद होना

एक अदद बन्दूक 12 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय लाईसेन्स बरामद होना

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के सम्बध मे अभियुक्त गण पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0- 08/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0- 09/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0- 10/2025 धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये एटीएम कार्ड से निकाली गयी सम्पूर्ण धनराशि 50,000/- रु0 बरामद।

दिनांक 13-01-25 को वादी श्री शत्रुधन सिंह पुत्र स्व0 रामकेश्वर सिंह निवासी नई बस्ती 132 गली नं0- 4 नन्दग्राम गाजियाबाद ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि अभि0गण मेरे घर से मेरा एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरी करके ले गये है, जिससे कई बार में 50,000/- रुपये निकाले गये है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13-01-25 को 02 अभियुक्तगण को रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया जिनसे चोरी किये गये एटीएम कार्ड से निकाली गयी सम्पूर्ण धनराशि 50,000/- रुपये बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनीष पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम अटौर थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-34 वर्ष

कमल शर्मा पुत्र महेश शर्मा निवासी ग्राम अटौर थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र- 25 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों शत्रुघन के साथ blinkit कंपनी राजनगर एक्सटेशन मे रायडर की जॉब करते है इसलिए हम दोनों का शत्रुघन के घर आना जाना था, हम दोनों को रुपए की सख्त जरूरत थी मौके का फायदा उठाकर बेड पर रखा एटीएम चुरा लिया था , एटीएम का पासवर्ड एटीएम के पीछे की तरफ ही लिखा हुआ था। हम दोनों ने राजनगर एक्सटेशन के एचडीएफसी बैंक एटीएम से दिनांक 08/01/2025 को शत्रुघन का एटीएम चोरी करके एटीएम से पैसे निकाले थे जो हम दोनों ने निकाले गये पैसे बराबर बांट लिये थे , ये वही पैसे है, पैसे निकालने के बाद हम दोनों लोगों ने एटीएम तोड कर रात में कहीं फेक दिया था।

बरामदगी का विवरण-

(1) चोरी किये गये एटीएम कार्ड से निकाले गये सम्पूर्ण धनराशि 50,000/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाला 1 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 3,45,980/- रू नगद व 47 सफेद धातु के छोटे बड़े सिक्के बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.01.2025 को वादी रामदास गुप्ता पुत्र स्व0 शान्ति प्रकाश निवासी के ए 101 थाना कविनगर गाजियाबाद ने नौकर चन्दन व उसके 4-5 साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी को कमरे में बन्द करके घर में रखे नकदी व जेवरात (सोने, चांदी व हीरे के) की डकैती कर ले जाना के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे,सर्विलान्स सैल व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 11.01.2025 को अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र शिवजी निवासी गाँव पैता थाना फूलपरास जिला मधुबनी बिहार को फूलपरास से झझारपुर जाने वाले हाइवे के बीच थाना फूलपरास जिला मधुबनी बिहार से गिरफ्तार कर आज दिनांक 13.01.2025 को थाना कविनगर पर लाया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त चन्दन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि ये रूपए व चाँदी के सिक्के मैंने अपने साथी चन्दन कुमार व ओमप्रकाश के साथ मिलकर कविनगर क्षेत्र में रामदास के घर दिनांक 07/01/2025 की रात्रि में लूट की थी, जिसमें से ये माल मेरे हिस्से में आया था। मुझे दिनांक 10.01.2025 की शाम यह पता चल गया था कि लूट में शामिल मेरे अन्य साथी गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ लिए हैं तथा मेरा भी नाम पुलिस को पता चल गया है मैं पकड़े जाने के डर व लूटे गए रूपयों को जंगल में छुपाने की फिराक में आया था कि आपने पकड़ लिया तथा मेरे पास ये मो0न- 8851421910 चालू था कल शाम पता चलने पर मैंने नया मो0न0-7061284418 ले लिया था तथा पहला मो0न0 बंद कर दिया था लेकिन फिर भी मैं पकडा गया।

बरामदगी-

1. 3,45,980/- रू नगद
2. 47 सफेद धातु (चांदी जैसे) के छोटे बड़े सिक्के

अभियुक्त का नाम पता-

1 चन्दन कुमार पुत्र शिवजी निवासी गाँव पैता थाना फूलपरास जिला मधुबनी बिहार

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर मय जिंदा व खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

दिनांक 06.07.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बोर्डर पर एक तहरीर अज्ञात कार सवार द्वारा हवाई फायर करना जिससे मौहल्ले के लोगों में दहशत हो जाना के सम्बन्ध में दी गई, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल धारा-125 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 13.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त रवि पुत्र भोपाल निवासी नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से अवैध 01 अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद। उक्त अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपनी गाडी से चलते हुए जुलाई के महीने में जनता में दहशत बनाने के लिए गुलजार अल्वी के घर के पास हवाई फायर किया था तथा पुलिस से छिपकर रह रहा था, आज आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रवि पुत्र भोपाल निवासी नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर मारपीट, हवाई फायर, एनडीपीएस एक्ट तथा हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 12.01.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी राजवेन्द्र अहिरवार पुत्र शेखलाल अहिरवार द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सुनील पुत्र बालूराम निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को अम्बेडकर पार्क वैशाली थाना कौशाम्बी से चोरी के 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील पुत्र बालूराम उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 305(a) के अभियोग पंजीकृत में धारा 317(2) की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त सुनील पुत्र बालूराम उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त दिल्ली व एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों में मोबाइल फोन चोरी करता है। जिन्हें बेचने के लिये राह चलते लोगों को अपनी परेशानी बताकर सस्ते दामों पर बेच देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
सुनील पुत्र बालूराम निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त सुनील पुत्र बालूराम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.01.2025 को थाना टीलामोड़ पर ऑनलाइन थाना मंगोलपुरी दिल्ली से जीरो एफआईआर प्राप्त हुई जिसमें वादिया/पीड़िता द्वारा अभियुक्त अनस मलिक पुत्र इंतजार निवासी ग्राम खडौली थाना कंकर खेडा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा वादिया/पीड़िता को होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा शादी करने की बात कहना व शादी करने के लिए कहे जाने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 376//506 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 13.01.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त अनस मलिक उपरोक्त को भौपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनस मलिक उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376//506 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त अनस मलिक उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा वादिया/पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ होटल में ले जाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
अनस मलिक पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम खडौली थाना कंकर खेडा जिला मेरठ उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त अनस मलिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 12.01.2025 को थाना लिंक रोड़ पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे चाचा का लड़का रोहित जो हमारे पास के मकान में ही रहता है उसके द्वारा मेरी पत्नी के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए है और जब वादी ने इसका विरोध किया तो रोहित द्वारा वादी

के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर अभियुक्त रोहित पुत्र गिरिश सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान महाराजपुर लिंकरोड़ से 01 अभियुक्त रोहित पुत्र गिरीश सिंह उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र गिरीश सिंह उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 115(2)/351(2)/(3) बीएनएस व 67 आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित पुत्र गिरीश सिंह उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र गिरीश सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर मारपीट करने व अश्लील फोटो/गिरफ्तार वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।